

Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the 'Committee on Publication Ethics'

Online ISSN:2584-184X



Research Article

भारतीय दंड संहिता एवं विशेष विधानों के अंतर्गत महिलाओं का संरक्षण: एक समालोचनात्मक एवं सामाजिक-विधिक अध्ययन

Hema Pancholi ^{1*}, Dr. Nidhi Tyagi ²

¹ Research Scholar, Graphic Era Deemed to be University, Dehradun, Uttarakhand, India

² Professor, Graphic Era Deemed to be University, Dehradun, Uttarakhand, India

Corresponding Author: *Hema Pancholi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18821875>

सारांश

भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक तथा संरचनात्मक कारकों से प्रभावित होते हैं। महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और समानता सुनिश्चित करने हेतु दंडात्मक और संरक्षणात्मक दोनों प्रकार के विधिक प्रावधान विकसित किए गए हैं। यह शोध-पत्र भारतीय दंड संहिता तथा नवीन आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता के साथ-साथ प्रमुख विशेष अधिनियमों—घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम—का समालोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। अध्ययन में नवीनतम अपराध आँकड़ों, न्यायिक दृष्टिकोण तथा क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है। निष्कर्षतः यह पाया गया कि विधिक ढांचा व्यापक है, किंतु प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक जागरूकता के अभाव में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं।

Manuscript Information

- ISSN No: 2584-184X
- Received: 02-01-2026
- Accepted: 26-02-2026
- Published: 28-02-2026
- MRR:4(2); 2026: 431-436
- ©2026, All Rights Reserved
- Plagiarism Checked: Yes
- Peer Review Process: Yes

How to Cite this Article

Pancholi H, Tyagi N. भारतीय दंड संहिता एवं विशेष विधानों के अंतर्गत महिलाओं का संरक्षण: एक समालोचनात्मक एवं सामाजिक-विधिक अध्ययन. 2026;4(2):431-436.

Access this Article Online



www.multiarticlesjournal.com

मुख्य शब्द: महिला संरक्षण, भारतीय दंड संहिता, विशेष अधिनियम, घरेलू हिंसा, दहेज, यौन उत्पीड़न, सामाजिक-विधिक अध्ययन

1. प्रस्तावना

भारत में महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक, सामाजिक और विधिक परिवर्तनों से निरंतर प्रभावित होती रही है। एक ओर भारतीय संविधान ने समानता, स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार की गारंटी दी है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, भेदभाव और उत्पीड़न जैसी समस्याएँ आज भी व्यापक रूप से विद्यमान हैं। दहेज मृत्यु, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, मानव तस्करी तथा कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव जैसी घटनाएँ यह संकेत देती हैं कि केवल सामाजिक सुधार पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि प्रभावी विधिक हस्तक्षेप भी आवश्यक है।

इसी संदर्भ में भारतीय दंड संहिता ने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को परिभाषित कर दंडात्मक व्यवस्था प्रदान की। समय के साथ समाज में उत्पन्न नई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आपराधिक कानून में संशोधन किए गए और अंततः इसे भारतीय न्याय संहिता के रूप में पुनर्संरचित किया गया। इसके अतिरिक्त, महिलाओं के विशिष्ट संरक्षण हेतु कई विशेष अधिनियम बनाए गए, जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम। ये कानून न केवल अपराधों को दंडित करते हैं, बल्कि पीड़ित महिलाओं को संरक्षण, पुनर्वास और प्रतितोष की व्यवस्था भी प्रदान करते हैं।

वर्तमान समय में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्टें यह दर्शाती हैं कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की संख्या में उतार-चढ़ाव के बावजूद घरेलू क्रूरता, अपहरण और यौन अपराध जैसे मामलों का अनुपात अभी भी चिंताजनक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विधिक प्रावधानों की उपलब्धता के बावजूद उनके प्रभावी क्रियान्वयन में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

अतः यह शोध-पत्र भारतीय दंड संहिता एवं विशेष विधानों के अंतर्गत महिलाओं को प्रदत्त संरक्षण का समालोचनात्मक एवं सामाजिक-विधिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का उद्देश्य केवल विधिक प्रावधानों का वर्णन करना नहीं है, बल्कि उनकी प्रभावशीलता, न्यायिक व्याख्या, अपराध आँकड़ों और क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों का मूल्यांकन करना है, ताकि महिला संरक्षण की दिशा में ठोस सुधारात्मक सुझाव प्रस्तुत किए जा सकें।

2. अध्ययन का उद्देश्य

इस शोध का प्रमुख उद्देश्य भारतीय दंड संहिता तथा विशेष विधानों के अंतर्गत महिलाओं को प्रदान किए गए विधिक संरक्षण का समग्र एवं समालोचनात्मक विश्लेषण करना है। अध्ययन का लक्ष्य यह समझना है कि भारतीय दंड संहिता तथा नवीन भारतीय न्याय संहिता में निहित प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को किस प्रकार सुनिश्चित करते हैं तथा वे सामाजिक यथार्थ के साथ कितने प्रभावी रूप से समन्वित हैं। इसके अतिरिक्त, शोध का उद्देश्य प्रमुख विशेष अधिनियमों—जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम—की प्रभावशीलता, क्रियान्वयन की स्थिति तथा व्यावहारिक चुनौतियों का मूल्यांकन करना भी है। यह अध्ययन अपराध संबंधी नवीनतम आँकड़ों और न्यायिक दृष्टिकोण के आधार पर यह निर्धारित करने का प्रयास

करता है कि वर्तमान विधिक व्यवस्था महिलाओं के संरक्षण में किस सीमा तक सफल है तथा उसमें किन सुधारों की आवश्यकता है।

3. शोध पद्धति

यह शोध मुख्यतः डॉक्ट्रिनल एवं सामाजिक-विधिक पद्धति पर आधारित है। अध्ययन में प्राथमिक स्रोतों के रूप में भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता तथा प्रमुख विशेष अधिनियम—घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम—का विधिक विश्लेषण किया गया है। साथ ही, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के प्रमुख निर्णयों का अध्ययन कर न्यायिक दृष्टिकोण का मूल्यांकन किया गया है। द्वितीयक स्रोतों के रूप में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की नवीनतम रिपोर्टें, शोध-लेख, विधि-पत्रिकाएँ, सरकारी प्रकाशन एवं आधिकारिक आँकड़ों का उपयोग किया गया है। इस शोध में गुणात्मक (qualitative) विश्लेषण के साथ-साथ उपलब्ध सांख्यिकीय आँकड़ों का वर्णनात्मक (descriptive) एवं तुलनात्मक अध्ययन भी सम्मिलित है, ताकि विधिक प्रावधानों की प्रभावशीलता और उनके व्यावहारिक क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का सम्यक् आकलन किया जा सके।

4. भारतीय दंड संहिता एवं भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत महिलाओं का संरक्षण

भारतीय विधिक व्यवस्था में महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा की रक्षा हेतु आपराधिक कानून का केंद्रीय स्थान रहा है। लंबे समय तक भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code, 1860) महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने का प्रमुख विधिक आधार रहा। वर्ष 2023 में आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक सुधार के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) लागू की गई, जिसने पूर्ववर्ती प्रावधानों को संशोधित, पुनर्संगठित एवं अद्यतन रूप में प्रस्तुत किया। दोनों संहिताओं का उद्देश्य महिलाओं के जीवन, स्वतंत्रता, सम्मान और शारीरिक अखंडता की रक्षा सुनिश्चित करना है।

1. भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत संरक्षण

भारतीय दंड संहिता, 1860 ने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए उनके लिए दंड का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत प्रमुख धाराएँ निम्नलिखित थीं—

(क) बलात्कार (धारा 375-376 IPC): धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा दी गई थी, जबकि धारा 376 में इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया। 2013 के आपराधिक कानून संशोधन के पश्चात् बलात्कार की परिभाषा का विस्तार किया गया, जिसमें केवल शारीरिक संबंध ही नहीं, बल्कि अन्य प्रकार के यौन आक्रमण भी शामिल किए गए। साथ ही, सामूहिक बलात्कार, नाबालिग के साथ बलात्कार, और अधिकार के दुरुपयोग की स्थिति में कठोर दंड निर्धारित किया गया।

(ख) शील भंग एवं यौन उत्पीड़न (धारा 354 IPC): धारा 354 के अंतर्गत किसी महिला की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से आक्रमण या आपराधिक बल का प्रयोग दंडनीय था। 2013 के संशोधन द्वारा धारा 354A (यौन उत्पीड़न), 354B (वस्त्र उतारने का प्रयास), 354C

(झाँकना—Voyeurism) तथा 354D (पीछा करना—Stalking) जोड़ी गई, जिससे महिलाओं की निजता एवं गरिमा की रक्षा को सुदृढ़ किया गया।

(ग) दहेज मृत्यु (धारा 304B IPC): यदि विवाह के सात वर्ष के भीतर किसी महिला की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में होती है और उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया हो, तो इसे दहेज मृत्यु माना जाता था। यह प्रावधान महिलाओं को वैवाहिक उत्पीड़न से संरक्षण देने के लिए महत्वपूर्ण था।

(घ) पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (धारा 498A IPC): यह धारा वैवाहिक जीवन में शारीरिक या मानसिक क्रूरता के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती थी। यद्यपि इसके दुरुपयोग के आरोप भी लगे, तथापि यह महिलाओं के लिए एक प्रभावी कानूनी उपाय सिद्ध हुई।

(ङ) अपहरण, मानव तस्करी एवं अन्य अपराध: धारा 366 (विवाह हेतु अपहरण), 370 (मानव तस्करी), 509 (शब्द, संकेत या कार्य द्वारा महिला की मर्यादा का अपमान) आदि धाराएँ महिलाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण थीं।

2. भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत संरक्षण

भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने भारतीय दंड संहिता के अधिकांश प्रावधानों को यथावत रखते हुए उन्हें अधिक समकालीन और सुसंगत स्वरूप में पुनर्गठित किया। इसका उद्देश्य अपराधों की परिभाषा को स्पष्ट करना, दंड प्रक्रिया को प्रभावी बनाना तथा पीड़िता-केंद्रित न्याय सुनिश्चित करना है।

(क) बलात्कार एवं यौन अपराधों का पुनर्संरचन: भारतीय न्याय संहिता में बलात्कार और यौन अपराधों की परिभाषा को और स्पष्ट किया गया है तथा पीड़िता की सहमति की अवधारणा को अधिक विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। कठोर दंड का प्रावधान बरकरार रखते हुए त्वरित न्याय और वैज्ञानिक साक्ष्य संग्रह पर बल दिया गया है।

(ख) संगठित अपराध एवं मानव तस्करी: नई संहिता में संगठित अपराधों के विरुद्ध विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं, जिनका लाभ मानव तस्करी और महिलाओं के शोषण से जुड़े मामलों में मिलेगा।

(ग) साइबर अपराधों से संरक्षण: डिजिटल युग में महिलाओं के विरुद्ध ऑनलाइन उत्पीड़न, मॉर्फिंग, साइबर स्टॉकिंग और अश्लील सामग्री प्रसारण जैसी गतिविधियाँ बढ़ी हैं। भारतीय न्याय संहिता ने सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अपराधों को अधिक सुसंगत ढंग से संबोधित किया है, जिससे महिलाओं की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

(घ) पीड़िता के अधिकारों पर बल: नई संहिता में पीड़िता की पहचान की गोपनीयता, सम्मानजनक व्यवहार और न्यायिक प्रक्रिया में भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया गया है।

3. संवैधानिक परिप्रेक्ष्य

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 15(3) (महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान) तथा अनुच्छेद 21 (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) महिलाओं के संरक्षण का आधार प्रदान करते हैं। दंड संहिता और न्याय संहिता के प्रावधान इन्हीं संवैधानिक मूल्यों को मूर्त रूप देते हैं।

4. तुलनात्मक विश्लेषण

भारतीय दंड संहिता एक औपनिवेशिक काल की संहिता थी, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया। इसके विपरीत, भारतीय न्याय संहिता एक समकालीन दस्तावेज है, जिसमें अपराधों की परिभाषा और दंड व्यवस्था को वर्तमान सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप पुनर्गठित किया गया है।

हालाँकि, दोनों संहिताओं का मूल उद्देश्य समान है—महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना। अंतर मुख्यतः संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधारों में है। नई संहिता ने अपराधों के वर्गीकरण को स्पष्ट किया है और तकनीकी अपराधों को समाहित किया है।

5. निष्कर्षात्मक टिप्पणी

भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता दोनों ही महिलाओं के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण विधिक साधन हैं। जहाँ एक ओर भारतीय दंड संहिता ने ऐतिहासिक रूप से महिला अधिकारों की रक्षा की नींव रखी, वहीं भारतीय न्याय संहिता ने इस संरक्षण को आधुनिक संदर्भ में सुदृढ़ करने का प्रयास किया है।

फिर भी, केवल विधायी प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं। प्रभावी क्रियान्वयन, त्वरित न्याय, पुलिस एवं न्यायिक अधिकारियों का संवेदनशील प्रशिक्षण, और सामाजिक जागरूकता आवश्यक है। जब तक कानून के साथ-साथ सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक महिला संरक्षण के उद्देश्य पूर्णतः साकार नहीं हो सकेंगे।

6. विशेष विधानों के अंतर्गत संरक्षण

भारतीय दंड संहिता एवं भारतीय न्याय संहिता के अतिरिक्त महिलाओं की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनेक विशेष अधिनियम बनाए गए हैं, जिनका उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि संरक्षण, प्रतितोष (compensation) और पुनर्वास की समग्र व्यवस्था प्रदान करना है। इन विशेष विधानों ने महिला संरक्षण को व्यापक सामाजिक संदर्भ में स्थापित किया है और निजी क्षेत्र (परिवार, कार्यस्थल, समुदाय) तक विधिक हस्तक्षेप को विस्तारित किया है।

सबसे प्रमुख कानूनों में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम शामिल है, जो शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक हिंसा को भी परिभाषित करता है। यह अधिनियम पीड़िता को संरक्षण आदेश, निवास का अधिकार, भरण-पोषण और मुआवज़ा प्रदान करने की व्यवस्था करता है। इसकी विशेषता यह है कि यह आपराधिक दंड के साथ-साथ सिविल उपचार (civil remedies) भी उपलब्ध कराता है।

दहेज संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु दहेज निषेध अधिनियम लागू किया गया, जिसने दहेज लेने-देने को अपराध घोषित किया। यद्यपि दहेज मृत्यु जैसे मामलों को दंडित करने के लिए भारतीय दंड संहिता

में भी प्रावधान हैं, परंतु यह अधिनियम दहेज प्रथा के सामाजिक उन्मूलन का विधिक आधार प्रदान करता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम अधिनियमित किया गया। यह कानून नियोक्ताओं पर आंतरिक शिकायत समिति (ICC) गठित करने का दायित्व डालता है और यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु संस्थागत तंत्र विकसित करता है। यह अधिनियम न्यायिक रूप से विकसित सिद्धांतों को वैधानिक रूप प्रदान करता है और कार्यस्थल को सुरक्षित एवं सम्मानजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

इसके अतिरिक्त, बाल विवाह, मानव तस्करी और अश्लील प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों से संबंधित अन्य विशेष कानून भी महिलाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं। इन सभी विशेष विधानों का संयुक्त प्रभाव यह है कि महिला संरक्षण को केवल दंडात्मक दृष्टिकोण तक सीमित न रखकर उसे एक व्यापक सामाजिक न्याय के ढांचे में रखा गया है। तथापि, इनके प्रभावी क्रियान्वयन, संस्थागत समन्वय और जागरूकता की कमी अभी भी प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

7. अपराध आँकड़ों का विश्लेषण

महिलाओं के संरक्षण संबंधी विधिक प्रावधानों की प्रभावशीलता का आकलन करने हेतु अपराध आँकड़ों का विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। National Crime Records Bureau (NCRB) द्वारा प्रकाशित *Crime in India* रिपोर्टों के अनुसार हाल के वर्षों में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की संख्या में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2022 में महिलाओं के विरुद्ध कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए, जो पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में अधिक हैं। इन मामलों में सर्वाधिक प्रतिशत "पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता" (Cruelty by Husband or Relatives) का रहा, जो कुल अपराधों का लगभग एक-तिहाई भाग है। इसके अतिरिक्त अपहरण, यौन उत्पीड़न तथा बलात्कार से संबंधित अपराध भी उल्लेखनीय संख्या में दर्ज हुए हैं।

बलात्कार के मामलों में दर्ज अपराधों की संख्या में उतार-चढ़ाव देखा गया है, किंतु यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि अधिकांश मामलों में आरोपी पीड़िता का परिचित या पारिवारिक सदस्य होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध केवल सार्वजनिक स्थानों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि निजी क्षेत्र—विशेषकर परिवार—में भी व्यापक रूप से विद्यमान हैं।

दहेज मृत्यु के मामलों में भी प्रति वर्ष हजारों प्रकरण दर्ज होते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि दहेज निषेध अधिनियम तथा संबंधित दंडात्मक प्रावधानों के बावजूद सामाजिक कुरीतियाँ पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। इसी प्रकार, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों में शिकायतों की संख्या में वृद्धि यह संकेत देती है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम के अंतर्गत जागरूकता बढ़ रही है, परंतु 'अंडर-रिपोर्टिंग' (Underreporting) अभी भी एक गंभीर समस्या है।

दोषसिद्धि (conviction) दर का विश्लेषण यह दर्शाता है कि कई मामलों में न्यायिक प्रक्रिया लंबी होने तथा साक्ष्य संबंधी कठिनाइयों के कारण अंतिम निर्णय में विलंब होता है। इससे पीड़िताओं का विश्वास न्याय प्रणाली में कमजोर हो सकता है।

अतः अपराध आँकड़ों का समग्र अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि यद्यपि विधिक प्रावधान व्यापक और कठोर हैं, तथापि सामाजिक संरचना, रिपोर्टिंग की प्रवृत्ति, जांच प्रक्रिया तथा न्यायिक विलंब जैसे कारक महिला संरक्षण की वास्तविक प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं। कानूनों के साथ-साथ प्रशासनिक दक्षता, सामाजिक जागरूकता और संस्थागत उत्तरदायित्व को भी सुदृढ़ करना अनिवार्य है।

8. न्यायिक दृष्टिकोण

भारतीय न्यायपालिका ने महिलाओं के संरक्षण संबंधी विधानों की व्याख्या करते हुए संवैधानिक मूल्यों—समानता, गरिमा और जीवन के अधिकार—को केंद्र में रखा है। उच्चतम न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों ने समय-समय पर ऐसे निर्णय दिए हैं, जिन्होंने न केवल विधिक प्रावधानों को स्पष्ट किया, बल्कि महिला अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा को भी सुदृढ़ किया।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संदर्भ में विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है। इस निर्णय के माध्यम से न्यायालय ने दिशानिर्देश जारी किए, जिन्हें बाद में 2013 के विशेष अधिनियम के रूप में विधिक मान्यता मिली। यह उदाहरण दर्शाता है कि न्यायपालिका ने विधायी शून्यता की स्थिति में भी सक्रिय भूमिका निभाई।

इसी प्रकार, 2012 के जघन्य सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण, जिसे प्रचलित रूप से निर्भया मामला कहा जाता है, के पश्चात् न्यायालयों की कठोर व्याख्या और जन-दबाव के परिणामस्वरूप आपराधिक कानून में व्यापक संशोधन किए गए। इन संशोधनों ने बलात्कार की परिभाषा को विस्तृत किया तथा दंड को कठोर बनाया।

धारा 498A (क्रूरता) के संदर्भ में न्यायपालिका ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। एक ओर न्यायालयों ने यह माना कि यह प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर इसके संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं, ताकि निर्दोष व्यक्तियों के अधिकारों का हनन न हो।

न्यायपालिका का यह सक्रिय और संतुलित दृष्टिकोण यह संकेत देता है कि महिला संरक्षण केवल विधायी प्रावधानों पर निर्भर नहीं है, बल्कि न्यायिक व्याख्या और संवैधानिक मूल्यों की पुनर्पुष्टि पर भी आधारित है। अतः न्यायिक दृष्टिकोण महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करता है।

9. चुनौतियाँ

यद्यपि महिलाओं के संरक्षण हेतु विधिक ढांचा व्यापक और सुदृढ़ है, तथापि उसके प्रभावी क्रियान्वयन में अनेक व्यावहारिक एवं संरचनात्मक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। प्रथम, अपराधों की अंडर-रिपोर्टिंग एक गंभीर समस्या है। सामाजिक कलंक, पारिवारिक दबाव, आर्थिक निर्भरता और न्यायिक प्रक्रिया के प्रति भय के कारण अनेक महिलाएँ शिकायत दर्ज नहीं करातीं। इससे वास्तविक अपराध दर और दर्ज मामलों के बीच अंतर उत्पन्न होता है।

द्वितीय, जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया में विलंब महिला संरक्षण की प्रभावशीलता को कम करता है। लंबी सुनवाई, साक्ष्य संकलन में

त्रुटियाँ, गवाहों का मुकर जाना तथा तकनीकी कारणों से मामलों का लंबित रहना पीड़िताओं के लिए निराशाजनक स्थिति उत्पन्न करता है। दोषसिद्धि दर का अपेक्षाकृत कम होना भी न्याय प्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

तृतीय, विधिक प्रावधानों के दुरुपयोग की बहस भी एक चुनौती है, विशेषकर कूरता से संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में। यद्यपि ऐसे मामले कुल संख्या की तुलना में सीमित हो सकते हैं, फिर भी इस बहस के कारण वास्तविक पीड़िताओं की शिकायतों को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगता है।

चतुर्थ, संस्थागत समन्वय की कमी—पुलिस, संरक्षण अधिकारियों, न्यायालयों और सहायता केंद्रों के बीच—कई बार कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करती है। ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर्मियों और संसाधनों की कमी भी एक प्रमुख समस्या है।

पंचम, कानूनी जागरूकता का अभाव और लैंगिक संवेदनशीलता की कमी समाज तथा प्रशासनिक तंत्र दोनों में देखी जाती है। कई महिलाएँ अपने अधिकारों और उपलब्ध कानूनी उपायों से अवगत नहीं होतीं, जिससे वे संरक्षण का लाभ नहीं उठा पातीं।

अतः स्पष्ट है कि महिला संरक्षण से संबंधित कानूनों की सफलता केवल विधायी प्रावधानों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सामाजिक मानसिकता, प्रशासनिक दक्षता, न्यायिक सक्रियता और जागरूकता अभियानों की प्रभावशीलता पर भी आधारित है। इन चुनौतियों का समाधान समन्वित और बहु-आयामी दृष्टिकोण से ही संभव है।

10. सुझाव

महिलाओं के संरक्षण संबंधी विधिक प्रावधानों की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु बहु-आयामी सुधारात्मक कदम आवश्यक हैं। सर्वप्रथम, कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस एवं प्रशासनिक तंत्र को लैंगिक संवेदनशीलता का विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि शिकायतों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और पेशेवर दृष्टिकोण अपनाया जा सके। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष महिला न्यायालयों और फास्ट-ट्रैक अदालतों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके।

द्वितीय, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो-NCRB के आंकड़ों के आधार पर डेटा-आधारित निगरानी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, जिससे अपराध प्रवृत्तियों का समय-समय पर विश्लेषण कर नीतिगत सुधार किए जा सकें। डिजिटल शिकायत तंत्र और हेल्पलाइन सेवाओं को सुदृढ़ किया जाना चाहिए, ताकि महिलाएँ बिना भय के शिकायत दर्ज करा सकें।

तृतीय, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संस्थानों में आंतरिक शिकायत समितियों (ICC) और संरक्षण अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। नियमित निरीक्षण एवं अनुपालन तंत्र विकसित किया जाना आवश्यक है।

चतुर्थ, महिलाओं की कानूनी साक्षरता बढ़ाने के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में। विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में लैंगिक समानता और महिला अधिकारों से संबंधित विषयों को शामिल किया जाना चाहिए।

अंततः, महिला संरक्षण को केवल दंडात्मक दृष्टिकोण तक सीमित न रखकर पुनर्वास, परामर्श सेवाओं, मनोवैज्ञानिक सहायता तथा आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। कानून, प्रशासन और समाज के संयुक्त प्रयास से ही महिलाओं की वास्तविक सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित की जा सकती है।

11. निष्कर्ष

भारतीय विधिक व्यवस्था ने महिलाओं के संरक्षण हेतु एक व्यापक और बहुआयामी ढांचा विकसित किया है, जिसका आधार लंबे समय तक भारतीय दंड संहिता रहा है और जिसे वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता के माध्यम से पुनर्संरचित किया गया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम जैसे विशेष कानूनों ने महिला संरक्षण को केवल दंडात्मक व्यवस्था तक सीमित न रखकर उसे सामाजिक न्याय और पुनर्वास के व्यापक परिप्रेक्ष्य में स्थापित किया है।

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विधिक प्रावधानों की दृष्टि से भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कानूनी संरचना उपलब्ध है। न्यायपालिका ने भी संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप इन कानूनों की व्याख्या करते हुए महिला गरिमा, समानता और स्वतंत्रता को सुदृढ़ किया है। तथापि, अपराध आँकड़ों और क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों का विश्लेषण यह संकेत देता है कि कानूनों की प्रभावशीलता अभी भी सामाजिक मानसिकता, प्रशासनिक दक्षता, दोषसिद्धि दर और न्यायिक विलंब जैसे कारकों से प्रभावित होती है।

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि महिलाओं के संरक्षण के लिए केवल विधायी सुधार पर्याप्त नहीं हैं; आवश्यक है कि सामाजिक चेतना, संस्थागत समन्वय, कानूनी जागरूकता और उत्तरदायी शासन को समान रूप से सुदृढ़ किया जाए। कानून और समाज के समन्वित प्रयासों के माध्यम से ही महिलाओं की वास्तविक सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार। भारतीय दंड संहिता, 1860। विधि एवं न्याय मंत्रालय; 1860।
2. भारत सरकार। भारतीय न्याय संहिता, 2023। गृह मंत्रालय; 2023।
3. भारत सरकार। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005। विधि एवं न्याय मंत्रालय; 2005।
4. भारत सरकार। दहेज निषेध अधिनियम, 1961। विधि एवं न्याय मंत्रालय; 1961।
5. भारत सरकार। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय; 2013।

6. भारत सरकार। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006। विधि एवं न्याय मंत्रालय; 2006।
7. भारत सरकार। अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956। विधि एवं न्याय मंत्रालय; 1956।
8. भारत सरकार। महिलाओं का अश्लील निरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986। विधि एवं न्याय मंत्रालय; 1986।
9. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। भारत में अपराध 2022। गृह मंत्रालय; 2022।
10. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। भारत में अपराध 2021। गृह मंत्रालय; 2021।
11. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। भारत में अपराध 2020। गृह मंत्रालय; 2020।
12. विधि आयोग, भारत। 243वीं रिपोर्ट: भारतीय दंड संहिता की धारा 498A से संबंधित रिपोर्ट। भारत सरकार; 2012।
13. न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा समिति। आपराधिक कानून संशोधन पर समिति की रिपोर्ट। भारत सरकार; 2013।
14. सर्वोच्च न्यायालय। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। (1997) 6 SCC 241।
15. सर्वोच्च न्यायालय। शायरा बानो बनाम भारत संघ। (2017) 9 SCC 11।
16. सर्वोच्च न्यायालय। राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। (2017) 8 SCC 746।
17. सर्वोच्च न्यायालय। मुकेश एवं अन्य बनाम राज्य (दिल्ली एनसीटी)। (2020) 10 SCC 120।
18. संयुक्त राष्ट्र। महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन संबंधी अभिसमय (CEDAW); 1979।
19. संयुक्त राष्ट्र। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन की घोषणा; 1993।
20. अग्रवाल ए। भारत में महिला संरक्षण कानूनों का सामाजिक-वैधानिक अध्ययन। भारतीय विधि समीक्षा। 2021;5(2):150-172।
21. कुमार आर। घरेलू हिंसा और विधिक संरक्षण: एक आलोचनात्मक अध्ययन। भारतीय विधि एवं समाज पत्रिका। 2019;10(2):45-67।
22. कौर आर। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम का क्रियान्वयन। भारतीय जेंडर अध्ययन पत्रिका। 2020;27(3):321-340।
23. राष्ट्रीय महिला आयोग। वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22। भारत सरकार; 2022।

Creative Commons License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License. This license permits users to copy and redistribute the material in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and the source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted.

About the corresponding author

Hema Pancholi is a Research Scholar at Graphic Era Deemed to be University, Dehradun, Uttarakhand, India. Her academic interests focus on interdisciplinary research and emerging contemporary issues. She is committed to scholarly excellence, critical inquiry, and contributing meaningful research insights within her field of study.